न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती अदिति पुरोहित, आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 36/2016
दायरा तिथि 24.06.2016
आदेश तिथि 20.04.2017

प्रार्थीगणः– 1–श्रीमती पुष्पाकंवर पत्नी डॉ.दलपतसिंहजी,
पुत्री कानसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी ठाकुर नाथसिंह बिल्डिंग,
रातानाडा सी.रोड जोधपुर
2–श्रीमती सज्जनकंवर पत्नी गणपतसिंहजी, पुत्री कानसिंहजी,
जाति राजपूत, निवासी कलावाडा हाउस, इन्द्रा बाजार जयपुर
3–श्रीमती मंजुकंवर पत्नी अर्जुनसिंहजी, पुत्री कानसिंहजी,
जाति राजपूत, निवासी लोहार की तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर,
हाल सिवाड हाउस, पांच बत्ती रातानाडा जोधपुर
4–श्रीमती शौभाकंवर पत्नी राजेन्द्रसिंहजी, पुत्री कानसिंहजी,
जाति राजपूत, निवासी दी/1105 बनीपार्क मोणी थाना हाउस,
कलेक्ट्रेट के पास जयपुर
5–श्रीमती संतोषकंवर पत्नी नरेन्द्रसिंहजी, पुत्री कानसिंहजी,
जाति राजपूत, निवासी 43/44 कीर्ति कुन्ज सोसायटी कारेली बाग
बडौदा (गुजरात)

ब
ना
मः

अप्रार्थीगणः– 1–राजेन्द्रकुमार पुत्र कन्हैयालालजी, जाति ओझा,
निवासी खैरवा, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
2–पुष्पेन्द्र पुत्र सुरेश शर्मा, जाति श्री गौड ब्राहम्ण,
निवासी सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)
3–अरविन्द पुत्र मदनलालजी, जाति अग्रवाल,
निवासी सी.19 कामधेनु पार्क बानावाडी, पूना (महाराष्ट्र)
4–रमेश पुत्र बाबुलालजी, जाति मेहता, निवासी खिमेल,
तहसील बाली, जिला पाली (राज.)
5–सुरेश शर्मा पुत्र मोहनलालजी, जाति श्री गौड ब्राहम्ण,
निवासी सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)
6–राहुल पुत्र प्रकाश मेहता, जाति मेहता, निवासी खिमेल,
तहसील बाली, जिला पाली (राज.)
7–राजेन्द्र पुत्र मोहनलालजी बाठिया, जाति जैन,
निवासी खैरवा, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
8–उत्तम पुत्र मोहनलालजी बाठिया, जाति जैन
निवासी खैरवा, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)
9–प्रकाश पुत्र बाबुलालजी, जाति जैन, निवासी खिमेल,
तहसील बाली, जिला पाली (राज.)
10–प्रमिला जैन पत्नी विकेशजी, जाति जैन, निवासी साण्डेराव
हाल निवासी 81 रास्तापेठ, पॉपुलर नेस्ट, पूना (महाराष्ट्र)

लगातार–02

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

11–पंकज धोखा पुत्र सम्पतराजजी, जाति जैन, निवासी साण्डेराव, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)
12–बिन्दुदेवी पत्नी सुरेशकुमारजी, जाति जैन, निवासी जोजावर, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली (राज.)
13–सम्पतराज पुत्र फूलचंदजी, जाति जैन, निवासी साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
14–स्व.बख्तावरसिंह पुत्र फतेहसिंहजी के कायम मुकाम– सूरजकंवर पत्नी बख्तावरसिंहजी
15–स्व.मनोहरसिंह पुत्र बख्तावरसिंहजी के कायम मुकाम–
15/1–भंवरकंवर बैवा मनोहरसिंहजी
15/2–कमलसिंह पुत्र मनोहरसिंहजी
15/3–नीतूकंवर पुत्री मनोहरसिंहजी
16–भगवानसिंह पुत्र बख्तावरसिंहजी
तमाम जातिगण राजपूत, निवासीगण सोईन्तरा, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर (राज.)
17–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.एक्ट,1955 एवं सपठित आदेश–47, नियम–1 सी.पी.सी.
(बाबत् रिव्यू करने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.09.2015)

उपस्थित–
1–प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी
2–अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 तक की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे एवं श्री कैलाश दवे

–: आ दे श :–

आदेश तिथि 20.04.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

(1) कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत निम्न आधारित तथ्यों पर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा बिरामी, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 740/1337 रकबा 27.02 हेक्टर पूर्व में सुमेरसिंह पुत्र कल्याणसिंहजी निवासी झुंझुनू एवं बख्तावरसिंह पुत्र फतेहसिंहजी निवासी सोईन्तरा की खातेदारी थी। बख्तावरसिंह के हिस्से की भूमि उनकी मृत्यु पश्चात् वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण सं. 335 से दर्ज हुई, परन्तु उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अप्रार्थी सं.14 लगाय 16 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के यहां म्युटेशन अपील सं. 05/2002 दायर की जिसका निर्णय दिनांक 28.07.2005 को हुआ व उक्त निर्णयानुसार म्युटेशन अपील खारिज हुई, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के यहां पेश की, जिसका निर्णय दिनांक 22.09.2013 को हुआ व द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.07.2005 व नामान्तरकरण सं. 335 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि दोनों पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देते हुए निर्णय में दिए गये निर्देशों के अनुसरण में पुनः नामान्तरकरण की विधिसम्मत कार्यवाही सम्पन्न करे, परन्तु तहसीलदार सुमेरपुर ने आज तक प्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब

लगातार–03

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

नहीं किया। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्णय दिनांक 22.09.2013 के विरूद्ध व अप्रार्थी सं.14 लगाय 16 के विरूद्ध न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां अपील दायर की जिसकी सुनवाई हेतु स्वीकारते हुए प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थी सं.14 लगाय 16 के विरूद्ध दिनांक 16.04.2014 को स्थगन आदेश पारित कर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्णय दिनांक 22.09.2013 की पालना को मण्डल में नियत पेशी दिनांक तक स्थगित कर दिया जिसका नोट जमाबंदी संवत 2068–71 में दर्ज किया गया।

(2) कि इस दौरान अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 ने सुमेरसिंह पुत्र कल्याणसिंह का 1/2 हिस्सा खरीद कर अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया, जबकि विवादग्रस्त भूमि 1/2 हिस्सा बाबत प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.14 लगाय 16 के मध्य माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विवाद विचाराधीन रहते व स्थगन आदेश के बावजूद तहसीलदार सुमेरपुर ने स्व.बख्तावरसिंह पुत्र फतेहसिंहजी के वसीयतनामा आधार पर अप्रार्थी सं.14 लगाय 16 के नाम गलत रूपेण नामान्तरकरण पारित कर दिया जो उन्हें ऐसा करने का कोई हक अधिकार नहीं था और इसी गैरकानूनी इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 ने प्रश्नगत् वादपत्र सं. 1776/2015 अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट,1955 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के यहां दिनांक 26.08.2015 को प्रस्तुत कर एक माह के भीतर–2 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2015 द्वारा बंटवाडा करवा दिया जिसमें अप्रार्थी सं.01 लगाय 17 की पूर्णरूप से मिलीभगत रही है। इसलिए प्रार्थीगण का यह रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर कर पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2015 को खारिज फरमाया जावे एवं मूल वाद में प्रार्थीगण को पक्षकार बनाकर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करे, तत्पश्चात् सही व न्यायिक निर्णय व डिक्री पुनः पारित फरमावे। प्रार्थीगण ने रिव्यू प्रार्थना पत्र के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर की ऑर्डरशीट दिनांक 26.06.2015 से 22.09.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि, निर्णय दिनांक 22.09.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि, न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा राजस्व अपील सं. 123/2005 में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2013 की प्रमाणित छाया प्रति, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निगरानी/पाली/एल.आर. संख्या 2100/2014 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 16.04.2014 की प्रमाणित छाया प्रति, जमाबंदी संवत् 2068–71 की छाया प्रति, जमाबंदी संवत् 2072–75 की छाया प्रति इत्यादि पेश किए है।

(3) कि प्रार्थीगण का कथित रिव्यू प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 की ओर से रिव्यू प्रार्थना पत्र व आधारित तथ्यों का जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्तियों में विस्तृत रूप से प्रतितर्क अभिव्यक्त करते हुए रिव्यू प्रार्थना पत्र व उसमें दर्शित सभी आधारित तथ्यों को गलत एवं विधि विरूद्ध होना दर्शाकर इन्हें नकारते हुए प्राथीगण का कथित रिव्यू प्रार्थना पत्र सव्यय हर्जा–खर्चा खारिज किए जाने एवं धारा 35 सी.पी.सी. के तहत अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 को प्रार्थीगण से विशिष्ठ कॉस्ट रूपये दस हजार दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है। इसके अलावा अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 ने अपने जवाब में मुख्यतः यह भी प्रार्थना की है कि मौजा सरहद बिरामी के खसरा नं. 740/1327 रकबा 27.02 हेक्टर भूमि में सुमेरसिंह पुत्र कल्याणसिंह का 1/2 हिस्सा एवं बख्तावरसिंह पुत्र फतेहसिंहजी का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज था, सुमेरसिंह पुत्र कल्याणसिंह का 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 ने प्रिन्सीपल विक्रेतागण मिश्रीमल व अन्य से जरिए रजिस्टर्ड बैचान लिखत से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिससे सुमेरसिंह पुत्र कल्याणसिंहजी का 1/2 हिस्सा कत्तई वादग्रस्त नहीं रहा व ना

लगातार–04

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

ही स्थगन आदेश से प्रभावित था तथा ना ही जमाबंदी में ऐसा कोई नोट लगा हुआ था। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के यहां निर्णित अपील में अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 न तो पक्षकार थे ना ही उन्हें उक्त अपील की जानकारी थी। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का कोई लेना–देना नहीं है, ना ही वे रेकर्डेड खातेदार है, प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में निष्पादित बैचान दस्तावेज दिनांक 21.03.2014 के आधार पर उनका किसी प्रकार का क्लेम शेष नहीं रहता है बल्कि अप्रार्थी सं.14 लगाय 16 की खातेदारी का भाग है जिसमें अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 की भूमि सम्मिलित नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा प्रश्नगत् राजस्व वाद सं.1776/2015 में पारित बंटवाडा निर्णय दिनांक 22.09.2015 के अनुसार अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 का विधिक बंटवाडा होकर खसरा नं. 741 रकबा 4.7368, खसरा नं. 741/1 रकबा 4.2911 एवं खसरा नं. 741/2 रकबा 4.4816 का अलग से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया है जिस भमि बाबत् प्रार्थीगण का कोई क्लेम नहीं है तथा ना ही उक्त भूमि बाबत अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 के विरूद्ध किसी प्रकार से स्थगन जारी करना न्यायसंगत होता है। इसके अलावा प्रार्थीगण ने रिव्यू प्रार्थना पत्र के साथ धारा 151 सी.पी.सी. का जो स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसके संदर्भ में विधि की स्पष्ट मंशा है कि जहां विधि के तहत अर्थात अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955 के प्रावधान लागू है वहां धारा 151 सी.पी.सी. के तहत अन्तर्निहित शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 ने प्रारम्भिक आपत्तियों में यह भी निवेदन किया है कि प्रश्नगत् निर्णित वाद सं.1776/2015 में वादग्रस्त कृषि भूमि की वर्तमान जमाबंदी के आधार पर अप्रार्थी सं.14 लगाय 16 के पिता व पति बख्तावरसिंह पुत्र फतेहसिंहजी बतौर खातेदार दर्ज होने व उनकी मृत्यु पश्चात् इनके विधिक वारिसान को ही वादपत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया था, जबकि वाद पत्र प्रस्तुत करने के दौरान प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में न तो खातेदार दर्ज थे तथा ना ही सहखातेदार दर्ज थे, इसलिए प्रश्नगत् वादपत्र में उन्हें पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं रही। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा आपसी राजीनामा के आधार पर ही वादग्रस्त भूमि बाबत अंतिम बंटवाडे का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2015 को पारित की गई, जिसके तहत राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद भी हो चुका है। यदि प्रार्थीगण उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित थे तो सक्षम न्यायालय में विधिवत् अपील दायर कर सकते थे, परन्तु प्रार्थीगण ने ऐसा नहीं करके प्रश्नगत् रिव्यू प्रार्थना पत्र गलत व विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो प्रथम दृष्ट्या चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज फरमावे, साथ ही प्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि निर्णित प्रश्नगत् मूल वाद सं.1776/2015 में प्रार्थीगण न तो वादीगण दर्ज रहे तथा ना ही प्रतिवादीगण दर्ज रहे है। इसलिए प्रार्थीगण अजनबी पक्षकार है जिन्हे किसी प्रकार से रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण अजनबी व्यक्ति होने से इनका बतौर वादी या प्रतिवादी के कोई लॉकल स्टेंडिंग नहीं है।

(4) कि अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 ने अपने जवाब में वर्णित प्रारम्भिक आपत्तियों में यह निवेदन किया कि मूल वाद पत्र में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2015 के अन्तर्गत ऐसा कोई एरेर अपैरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड या मैटरियल इरेग्यूलरिटी नहीं है तथा प्रश्नगत् निर्णय/डिक्री में ऐसी कोई भी कानूनी कमी नहीं है और ना ही उक्त निर्णय न्यायोचिता से परे है, प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई नया साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे कि अभिलेख के मुख पर कोई प्रकट

लगातार–05

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner

त्रुटि बतलाती हो। इसके अलावा प्रश्नगत् मूल वाद दिनांक 22.09.2015 को निर्णित हुआ है जबकि प्रार्थीगण ने रिव्यू प्रार्थना छःमाह बाद अर्थात दिनांक 24.06.2016 को प्रस्तुत किया है जो प्रार्थना पत्र म्याद बाहर है व प्रार्थीगण ने देरी का क्षमा करने हेतु ऐसा कोई आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्रार्थीगण के कथित आधारित जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्तिओं में अभिव्यक्त किए गये तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का कथित रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय नहीं होने से तथा म्याद बाहर होने से इसे सव्यय हर्जा–खर्चा खारिज फरमावे एवं धारा 35 सी.पी.सी. के तहत अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 को प्रार्थीगण से विशिष्ठ कॉस्ट रूपये दस हजार दिलाये जाने हेतु आदेश प्रदान करावे। अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 ने अपने जवाब व प्रारम्भिक आपत्तियों के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः फोटो प्रति बैचान रजिस्टरी दिनांक 08.02.2013, फोटो प्रति बैचान रजिस्टरी दिनांक 11.02.2014, प्रमाणित प्रतिलिपियां जमाबंदी संवत् 2068–71(2), निर्णय की पालना में इन्द्राज नक्शाट्रेस की फोटो प्रति, मूल वाद सं.1776/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2015 की फोटो प्रतियां, फोटो प्रति बैचान रजिस्टरी दिनांक 21.03.2014 इत्यादि पेश किए है।

(5) कि हमने, उभयपक्षीय अधिवक्ताओं की बहस दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया, इसके अलावा अप्रार्थी सं.01 लगाय 13 के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान उपलब्ध कराये गये न्यायिक उद्धरण क्रमशः RRT 2012(1) Page 397-399, RRT 2015(2) Page 1415-1419, RRT 2014(1) Page 610-616, RRT 2014(1) Page 292-299, RRT 2014(1) Page 570-579, RRT 2011-12 (Sup) Page 68-70, RRT 2013(2) Page 1152-1164 & RRT 2014(2) Page 1454-1458 में प्रतिपादित सिद्धान्तों व व्यवस्थाओं पर भी मनन व विचारण किया। फलस्वरूप हमने पाया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत् पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 229 के तहत प्रस्तुत किया गया जिसका दायरा बहुत सीमित है, परन्तु प्रश्नगत् मामले की विधिक मंशा अनुसार मूल वाद सं. 1776/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2015 के अन्तर्गत प्रार्थीगण किसी भी स्तर पर पक्षकार संयोजित नहीं थे, ना ही उनका उक्त मूल वाद अन्तर्गत कोई विधिक हक या अधिकार निहित होना प्रकट होता हो जाहिर नहीं होता है। अतः इस संदर्भ में हमारी विधिक राय है कि प्रार्थीगण का प्रश्नगत् पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पुनः सुनवाई अनुज्ञेय नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र प्रथमतः खारिज योग्य प्रतीत होता है और इस विधिक तर्क के समर्थन में न्यायिक उद्धरण RRT 2012(1) Page 397-399 में प्रतिपादित सिद्धान्त लागू होते है। इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान आदेश–47, नियम–1 के तहत सीमित आधारों तक ही पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर विचार व मनन किया जा सकता है। इस प्रकरण की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा मूल वाद सं. 1776/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2015 के अन्तर्गत रिकार्ड पर ऐसी कोई परिलक्षित या प्रत्यक्ष त्रुटि हुई हो अर्थात "error apparent on the face of record" जाहिर होती हो, ऐसा आधारित साक्ष्य या दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया है, जिससे कि प्रश्नगत् निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत होता हो। इसके अतिरिक्त हमारी विधिक राय यह भी है कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रश्नगत् निर्णय व डिक्री में विना किसी आमुख दृष्ट्व्य त्रुटि से परिवर्तन करना न्यायोचित नहीं समझते है। जबकि प्रश्नगत् मूल वाद के निर्णय व डिक्री में ऐसी कोई प्रत्यक्ष त्रुटि अर्थात "error apparent on the face of record" जाहिर नहीं होती है और यहभी स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन की कार्यवाही किसी भी स्थिति में सिविल प्रक्रियां संहिता के आदेश–47,

लगातार–06

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner

नियम–1 की परिधीय से बाहर नहीं होनी चाहिए और ना ही पुनर्विलोकन की कार्यवाही अपीलीय उपमार्ग हो सकती है। कथित विधिक तर्को के पृष्ठांकन संदर्भ में न्यायिक उद्धरण RRT 2014(1) Page 610-616, RRT 2014(1) Page 292-299, RRT 2014(1) Page 570-579, RRT 2011-12 (Sup) Page 68-70, RRT 2013(2) Page 1152-1164 & RRT 2014(2) Page 1454-1458 में प्रतिपादित सिद्धान्त व व्यवस्थाऐं लागू होती है।

चूंकि उपरोक्त विश्लेषणात्मक स्थिति अनुसार प्रश्नगत् मामले में हम अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता की तथाकथित सभी दलीलों व न्यायिक उद्धरणों में प्रतिपादित सिद्धान्तों व व्यवस्थाओं से पूर्णतः सहमत है और इस बारे में विचारण पश्चात हमारी विधिक राय है कि प्रार्थीगण का प्रश्नगत् पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय नहीं होने से तथा म्याद बाहर होने से इसे सव्यय खारिज करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचनाओं के परिणामतः प्रार्थीगण का यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने तथा म्याद बाहर होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 20.04.2017 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner